भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1606 का उत्तर

तेलंगाना में निर्मित/निर्माणाधीन नई रेल लाइनें

1606. श्री गोडम नागेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं की क्या स्थिति है;

(ख) तेलंगाना में निर्मित/निर्माणाधीन नई रेल लाइनों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त परियोजना की क्या स्थिति है;

(घ) देश में मानवरहित रेल समपारों की संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा देश विशेषकर तेलंगाना में समपारों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) उक्त कार्यों के लिए आवंटित कार्य निधि और उक्त कार्य की गति में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भूमिगत पारपथ में जल-भराव की समस्या को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

S.K

तेलंगाना में निर्मित/निर्माणाधीन नई रेल लाइनों के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री गोडम नागेश के अतारांकित प्रश्न सं. 1606 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किए जाते हैं क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्द्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक आधार आदि पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फारवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों में आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 32,946 करोड़ रुपये लागत की 2,298 कि.मी. कुल लंबाई की 20 रेल परियोजनाएं (07 नई लाइनें और 13 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 474 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 9,958 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कार्य की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	7	997	245	4433
दोहरीकरण	13	1301	230	5526
कुल	20	2298	474	9958

S.K

तेलंगाना राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	बजट परिव्यय
2023-2024	4,418 करोड़ रुपये
2024-2025	5,336 करोड़ रुपये

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान तेलंगाना राज्य मे पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले रेलपथों की कमीशनिंग/नए रेलपथ बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कुल कमीशन की गई लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	वर्ष 2009-14 के दौरान कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	87 कि.मी.	17.4 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	650 कि.मी.	65 कि.मी./वर्ष	लगभग 4 गुना

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा तीव्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत के भाग को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना/परियोजनाओं स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना विशेष स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या जैसे भिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(घ) से (छ): तेलंगाना राज्य सहित भारतीय रेल के बड़ी लाइन नेटवर्क की चालित लाइनों पर सभी बिना चौकीदार वाले समपारों को 31.01.2019 तक समाप्त कर दिया गया है।

इस समय तेलंगाना राज्य में 263 अदद चौकीदार वाले समपार हैं। समपारों को समाप्त करने के लिए ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के कार्यों को स्वीकृति देना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया

है। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और गाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

2014-24 के दौरान तेलंगाना राज्य में 437 अदद ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है। 01.04.24 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में 4705 करोड़ रुपये की लागत के 136 अदद ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के स्वीकृत कार्य हैं। वर्ष 2024-25 के लिए तेलंगाना राज्य में ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए 168 करोड़ की निधि आबंटित की गई है।

रेलवे ने ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नक्शों को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ii) ऊपरी/निचले सड़क पुलों कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(iii) डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए स्पैन के विभिन्न संयोजन, तिरछापन और रेलवे के हिस्से पर सड़क की चौड़ाई के लिए अधिसंरचना नक्शों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए रेलवे लाइनों पर त्वरित योजना निर्माण हेतु अपनाया जा सकता है।

(iv) जहां कहीं संभव हो रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों कार्यों को एकल निकाय के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहती है तो रेलवे उन्हें एकल निकाय के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

S.K

इसके अलावा, रेलवे ने भूमिगत पैदलपार पथों में जल भराव की समस्या को कम करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए हैं। नए निचले सड़क पुलों/भूमिगत पैदलपार पथों की योजना के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था की गई है। व्यवहार्यता, उपयुक्तता और स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा निचले सड़क पुलों/भूमिगत पैदलपार पथों में जल प्रवाह को पास के पुल और नालों/नालियों में मोड़ना, पहुँच मार्गों पर आच्छादित शेड का प्रावधान, निचले सड़क पुलों के प्रवेश पर उभार (हंप) का प्रावधान, क्रॉस नालियों का प्रावधान, जोड़ों को सील करना आदि जैसे उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चिह्नित निचले सड़क पुलों के लिए पंपिंग व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में पानी को शीघ्रता से निकाला जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने का प्रावधान किया गया है।

******

S.K